(GI-1, GI-2+4, GI-3, GI-5+6 & VDI-1, VI-1, SI-1)
DATE: 07.10.2020 MAXIMUM MARKS: 100 TIMING: 3¼ Hours

PAPER : AUDITING

DIVISION – A (MULTIPLE CHOICE QUESTIONS)

QUESTIONS (1-20) CARRY 1 MARK EACH

(1) Ans. a
(2) Ans. a
(3) Ans. b
(4) Ans. d
(5) Ans. d
(6) Ans. a
(7) Ans. a
(8) Ans. d
(9) Ans. c
(10) Ans. a
(11) Ans. d
(12) Ans. b
(13) Ans. a
(14) Ans. b
(15) Ans. d
(16) Ans. a
(17) Ans. d
(18) Ans. d
(19) Ans. c
(20) Ans. a

QUESTIONS (21-25) CARRY 2 MARKS EACH

(21) Ans. d
(22) Ans. b
(23) Ans. c
(24) Answer:

गलतः

अंकेक्षण के दौरान हुई परिस्थितियों में हुए परिवर्तन के परिणामस्वरूप संपूर्ण (और, यदि लागू हो, भौतिक स्तर या लेने–देने, खाता शेष या प्रकटीकरण के विशेष वर्गो के लिए स्तर) के रूप में वित्तीय वक्तव्यों की भौतिकता को संशोधित करने की आचश्यकता हो सकती है। उदाहरण के लिए, इकाई के व्यवसाय के एक प्रमुख हिस्से के निपटान का निर्णय), नई जानकारी, या लेखा परीक्षक की समझ में परिवर्तन और इसके संचालन को आगे अंकेक्षण प्रक्रियाओं के निष्पादन के परिणामस्वरूप।

(25) Answer:

सहीः

एक बार अंकेक्षण की रणनीति स्थापित की जायें, एक अंकेक्षण योजना को समग्र अंकेक्षण रणनीति में पहचान जाने वाले विभिन्न मामलों को संबोधित करने के लिए विकासित किया जा सकता हैं, जिससे अंकेक्षको के संसाधनों के कुशल उपयोग के माध्यम से अंकेक्षण उद्देश्यों को प्राप्त करने की आवश्यकता को ध्यान में रखकर किया जा सकता है। समग्र अंकेक्षण की रणनीति और विस्तृत अंकेक्षण की स्थापना अंसतत या अनुक्रमिक प्रक्रियाएँ नही होती है, लेकिन एक में परिवर्तन के परिणामस्वरूप दूसरे मे होने वाले परिवर्तनों से निकटता से अंतर–संबधित होते है।

DIVISION B-DESCRIPTIVE QUESTIONS
QUESTION NO. 1 IS COMPULSORY
ATTEMPT ANY FOUR QUESTIONS FROM THE REST

Answer 1:

(i) **गलतः**

SA-200 ''स्वतंत्र अंकेक्षक का संपूर्ण उद्देश्य'' के अनुसार वित्तीय विवरण का एक अंकेक्षण करने में, अंकेक्षक का संपूर्ण उद्देश्य है।

(a) के बारे में उचित आश्वासन को प्राप्त करना क्या वित्तीय विवरण सम्पूर्ण में सारवान मिथ्या विवरण से मुक्त है, तथा

(b) वित्तीय विवरण रिपोर्ट करना तथा अंकेक्षक का निष्कर्ष के अनुसार SAs द्वारा आवश्यक संप्रेषण करना।

(ii) **सहीः**

टीमिंग तथा लेडिंग नकद प्राप्ति को दबाने की एक तकनीक है एक ग्राहक से प्राप्त धन का गबन किया जाता है तथा एक अन्य ग्राहक से बाद की प्राप्ति से समायोजित किया जाता है।

(iii) **गलतः**

समग्रता तथा अंकेक्षण जोखिम की मात्रा के मय उलटा संबंध है, जितना अधिक सारवानता स्तर है उतना कम अंकेक्षण जोखिमह ै तथा इसका उलटा। उदाहरण के लिए, जोखिम कि एक विशेष खाता शेष अथवा सौदे की श्रेणी को अति बड़ी राशि द्वारा मिथ्या वर्णित किया जा सकता है काफी न्यून है, परन्तु जोखिम जिसे काफी छोटी राशि द्वारा मिथ्या वर्णित किया जा सकता है काफी अधिक है।

(iv) **गलतः**

"SA 230 अंकेक्षण प्रपत्रीकरण'' के अनुसार, वर्किंग पेपर अंकेक्षक की सम्पत्ति है तथा अंकेक्षक के पास उन्हें रखने का अधिकार है। वह अपनी स्वेच्छा पर अपने मुवक्किल को वर्किंग पेपर उपलब्ध करवा सकता है। अंकेक्षक को अपनी प्रेक्टिस की आवश्यकता तथा कानूनी अथवा पेशेवर आवश्यकता को पूरा करने के लिए काफी समय तक रखना चाहिए।

(For Answer 1 Mark and For Reason 1 Mark)

(v) **गलतः**

अर्न्तनिहित जोखिम एक खाता शेष अथवा सौदो की श्रेणी का मिथ्या विवरण या तो उसे व्यक्तिगत रूप अथवा जब अन्य शेष अथवा श्रेणी के साथ योग किया जाता से योग में संवेदनशील है यह मानकर कि कोई संबंधित आंतरिक नियंत्रण नहीं है।

(vi) **गलतः**

कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 138 प्रत्येक प्राइवेट कम्पनी को पहले के वित्तीय वर्ष के दौरान 200 करोड़ अथवा अधिक की टर्नओवर अथवा गत वित्तीय वर्ष के दौरान किसी समय पर रुपये 100 करोड़ अथवा अधिक से अधिक बैंक अथवा वित्तीय संस्थान से अदत ऋण है, को आंतरिक अंकेक्षक नियुक्त करना होगा।

(vii) **गलतः**

शब्द ''आंतरिक जांच'' का नैत्यिक प्रणाली के भाग के रूप में लगातार होने वाली परिचालित दिन प्रतिदिन ''जांच'' के रूप में परिभाषित किया है जहां पर एक व्यक्ति के कार्य को स्वतंत्र अथवा एक अन्य के कार्य के अनुपूरक रूप में साबित किया है, उद्देश्य त्रुटि अथवा धोखाधड़ी की रोक अथवा जल्द खोज है।

(viii) **गलतः**

कम्पनी अधिनियम 2013 का प्रावधानों के अनुसार, एक व्यक्ति कम्पनी का अंकेक्षक के रूप में नियुक्त होने के लिए अयोग्य है यदि वह कम्पनी में किसी हित अथवा प्रतिभूति को धारित करता है।

क्योंकि चाटर्ड अकाउटेंड रुपये 950 की अंकित मूल्य वाली S. Ltd. की प्रतिभूति को धारण कर रहा है, वह S. Ltd. का अंकेक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं है।

Answer 2:

(a) अंकेक्षण साक्ष्य अंकेक्षक की राय तथा रिपोर्ट के समर्थन के लिए आवश्यक है। यह प्रकृति में संचयी है तथा मुख्यतः अंकेक्षक के दौरान निष्पादित अंकेक्षण प्रक्रिया से प्राप्त किया है। यद्यपि इसमें अन्य स्त्रोत जैसे गत अंकेक्षण से प्राप्त सूचना सम्मिलित होगी। इकाई के अंदर तथा बाहर स्त्रोत के अतिरिक्त इकाई का लेखांकन रिकॉर्ड अंकेक्षण साक्ष्य का महत्वपूर्ण रिकॉर्ड है। साथ में सूचना जिसे अंकेक्षण साक्ष्य के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है, को प्रबन्धन का विशेषज्ञ का कार्य उपयोग कर तैयार किया जाता है। अंकेक्षण साक्ष्य दोनों सूचनाओं से मिलकर बना है जो प्रबन्धकीय अभिकथन का समर्थन तथा सपुष्टी करता है तथा कोई सूचना जो इस प्रकार का अभिकथन का खंडन करता है। इसके अतिरिक्त, कुछ मामलो में, सूचना का अभाव (उदाहरण के लिए, प्रबन्धन की आवेदित प्रतिरूप को प्रदान करने में इन्कार करना) को अंकेक्षक द्वारा प्रयुक्त किया जाता है, तथा इसलिए अंकेक्षण साक्ष्य बनाता है। **{2 M}**

अंकेक्षक की राय बनाने में ज्यादातर अंकेक्षक का कार्य अंकेक्षण साक्ष्य को प्राप्त करने तथा आंकलन करने से मिलकर बना है। अंकेक्षण साक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अंकेक्षण प्रक्रिया में जांच के अतिरिक्त निरीक्षण अवलोकन पुष्टी, पुनः गणना, पुनः निष्पादन तथा विश्लेषणात्मक प्रक्रिया प्रायः कुछ समन्वय में सम्मिलित हो सकती है। यद्यपि जांच महत्वपूर्ण अंकेक्षण साक्ष्य को प्रदान करती है तथा मिथ्या विवरण का साक्ष्य प्रस्तुत कर सकती है, जांच अकेली अभिकथन स्तर पर सारवान मिथ्या विवरण के अभाव का पर्याप्त अंकेक्षण साक्ष्य अथवा नियंत्रण की परिचालन प्रभावदेयता को प्रदान नहीं करता। **{1 M}**

जैसा एस.ए. 200 ''स्वतंत्र अंकेक्षक का सम्पूर्ण उद्देश्य तथा अंकेक्षण पर मानक के अनुसार एक अंकेक्षण का परिचालन'' में स्पष्ट किया है, उचित आश्वासन को प्राप्त किया जाता है जब अंकेक्षक ने अंकेक्षण जोखिम (अर्थात जोखिम जिस पर अंकेक्षक एक अनुपयुक्त राय प्रकट करता है जब वित्तीय विवरण सारवान रूप से मिथ्या वर्णित है, की स्वीकार्य न्यून स्तर तक कम करने के लिए पर्याप्त उपयुक्त अंकेक्षण साक्ष्य को प्राप्त कर लिया। अंकेक्षण साक्ष्य की पर्याप्तता तथा उपर्युक्तता एक दूसरे से परस्पर संबंधित है। **{1 M}**

Answer:

(b) अंकेक्षक की रिपोर्ट में सम्मिलित मामला – वैधानिक देय तथा वित्तीय संस्थान, बैंक, सरकार को ऋण अथवा ऋणपत्र धारकों को देय (CARO, 2016) –

वाक्य (vii)(a) क्या कम्पनी भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर बिक्री कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, वेट, उपकर सहित गैर विवादित वैधानिक देय अथवा कोई अन्य वैधानिक देय को उपयुक्त प्राधिकरण के पास जमा करने में नियमित है तथा यदि नही तो संबंधित वित्तीय वर्ष के अंतिम दिवस पर भुगतान योग्य छह माह से ज्यादा की अवधि के लिए देय अदत वैधानिक देय का बकाया को संकेत देना होगा। **{1 M}**

वाक्य (vii)(b) जहां आयकर अथवा बिक्री कर अथवा सेवा कर अथवा सीमा शुल्क अथवा उत्पाद शुल्क अथवा वैट को किसी विवाद के कारण जमा नहीं किया, तब लिप्त राशि तथा फोरम जिस पर विवाद लम्बित है का वर्णन करना होगा (संबंधित विभाग को केवल एक प्रतिवेदन एक विवाद नहीं है)। **{1 M}**

वाक्य (viii) क्या कम्पनी ने एक वित्तीय संस्थान, बैंक, सरकार को ऋण का पुर्नभुगतान अथवा ऋणपत्र धारकों को देय में चूक की है? यदि हाँ तो, अवधि तथा प्रतिवेदित की जाने वाली चूक (बैंक, वित्तीय संस्थान तथा सरकार को चूक के मामले में, ऋणदाता अनुसार विवरण को प्रदान करना)। **{1 M}**

Answer:

(c) अग्रिम के ऊपर आंतरिक नियंत्रण का आंकलनः अंकेक्षक को अपने यथार्थपूर्वक प्रक्रिया की प्रकृति, समय तथा हद को निर्धारण करने के लिए अग्रिम के ऊपर विभिन्न आंतरिक नियंत्रण की प्रभावदेयता का परीक्षण करना चाहिए। सामान्य में, अग्रिम के ऊपर आंतरिक नियंत्रण में निम्न सम्मिलित होना चाहिए।

- बैंक को ऋणी की साख मूल्य के संबंध में स्वंय को संतुष्ट करने तथा बैंक की उपयुक्त प्राधिकरण से अनुमोदन को प्राप्त करने के पश्चात् अग्रिम देना चाहिए।
- सभी आवश्यक प्रपत्र (उदाहरणः समझौता, मांग वचन पत्र, बंधक का पत्र इत्यादि) को अग्रिम देने से पूर्व पक्षों द्वारा निष्पादित करना चाहिए।

- अनुमोदन की शर्तो की अनुपालन तथा फंड का अंतिम उपयोग को सुनिश्चित करना चाहिए।
- पर्याप्त मार्जिन जैसा अनुमोदन पत्र में निर्दिष्ट है को प्रतिभूतियों के विरूद्ध रखना चाहिए ताकि उसके मूल्य में किसी गिरावट को कवर किया जा सके। पर्याप्त मार्जिन की उपलब्धता को नियमित अंतराल पर सुनिश्चित करने की आवश्यकता है।
- यदि ली गयी प्रतिभूतियाँ अंशो, ऋणपत्र इत्यादि की प्रकृति की है, उसके स्वामित्व को बैंक के नाम में अंतरित करना चाहिए तथा इस प्रकार की प्रतिभूतियों का प्रभावी नियंत्रण को प्रपत्रीकरण के भाग के रूप में रखना चाहिए।
- पंजीकरण वाली सभी प्रतिभूतियों को बैंक के नाम में पंजीकृत होना चाहिए अथवा अन्यथा बैंक को स्वत्व देने के लिए पर्याप्त प्रपत्र के रूप में संलग्न होनी चाहिए।
- बैंक के ग्रहण में वस्तुओं के मामले में, पैकेज की वस्तु को प्राप्ति के समय परीक्षण जांच करनी चाहिए। गोदाम का बैंक का निरीक्षकों के अतिरिक्त संबंधित शाखा के जिम्मेवार अधिकारी द्वारा समय–समय पर निरीक्षण करना चाहिए।
- आहरण अधिकार रजिस्टर को बंधक प्रतिभूतियां का मूल्य को रिकार्ड करने के लिए प्रत्येक माह अपडेट करना चाहिए। इन प्रविष्टी की एक अधिकारी द्वारा जांच की जानी चाहिए।
- खाता को दोनों आहरण अधिकार तथा अनुमोदन सीमा के अंदर रखना चाहिए।
- सभी खाते जो अनुमोदन सीमा से अथवा आहरण अधिकार से अधिक है अथवा अन्यथा अनियमित है, को नियमित रूप से नियंत्रण प्राधिकरण की सूचना में लाना चाहिए।
- प्रत्येक अग्रिम खाता का परिचालन की कम से कम वर्ष में एक बार तथा बड़े अग्रिम के मामले में ज्यादा नियमित अंतराल पर समीक्षा होनी चाहिए।

Any Six Each 1/2 Mark = Total 3 Marks

Answer:

(d) (a) Modification of Opinion: अंकेक्षक को अंकेक्षक की रिपोर्ट में राय का संशोधन करना होगा जब :

(i) अंकेक्षक निष्कर्ष निकालता है कि प्राप्त अंकेक्षण साक्ष्य के आधार पर वित्तीय विवरण सम्पूर्ण रूप में सारवान मिथ्या विवरण से मुक्त नहीं है।

(ii) अंकेक्षक यह निष्कर्ष निकालने में कि वित्तीय विवरण सम्पूर्ण रूप में सारवान मिथ्या विवरण से मुक्त है, पर्याप्त उपयुक्त अंकेक्षण साक्ष्य को प्राप्त करने में असमर्थ है। **{1 M}**

(b) Disclaimer of Opinion: अंकेक्षक एक राय का अदावा करेगा जब अंकेक्षक पर्याप्त उपयुक्त अंकेक्षण साक्ष्य को प्राप्त करने में असमर्थ है जिस पर उसकी राय आधारित है, तथा अंकेक्षक निष्कर्ष निकालता है कि वित्तीय विवरण पर गैर–खोजी मिथ्या विवरण यदि कोई है तो का संभव प्रभाव दोनों समग्र तथा व्यापार हो सकता है।
अंकेक्षक बहु अनिश्चितता में लिप्त दुर्लभ परिस्थिति में जब एक राय का अदावा करेगा, जब वह निष्कर्ष निकालता है कि प्रत्येक व्यक्तिगत अनिश्चितता के संबंध में पर्याप्त, उपयुक्त अंकेक्षण साक्ष्य को प्राप्त करने के बावजूद उसके लिए अनिश्चितता का भावी संवाद तथा उनके वित्तीय विवरण पर संभव संग्रहीत प्रभाव के कारण वित्तीय विवरण पर राय बनाना संभव नहीं है। **{1 M}**

(c) Adverse Opinion: अंकेक्षक एक प्रतिकूल राय को व्यक्त करेगा जब अंकेक्षक पर्याप्त उपयुक्त अंकेक्षण साक्ष्य को प्राप्त करने के बाद निष्कर्ष निकालता है कि मिथ्या विवरण व्यक्तिगत अथवा योग में वित्तीय विवरण की समग्र तथा व्यापक है। **{1 M}**

(d) Qualified Opinion: अंकेक्षक एक मर्यादित राय प्रकट करेगा जब–

(i) अंकेक्षक ने पर्याप्त उपयुक्त अंकेक्षण साक्ष्य को प्राप्त कर निष्कर्ष निकाला है, मिथ्या विवरण व्यक्तिगत अथवा योग में वित्तीय विवरण की सारवान है परन्तु व्यापक नहीं है।

(ii) अंकेक्षक पर्याप्त उपयुक्त अंकेक्षण साक्ष्य जिस पर उसकी राय आधारित है को प्राप्त करने में असमर्थ रहता है परन्तु अंकेक्षक निष्कर्ष निकालता है कि गैर–खोजी मिथ्या विवरण का संभव प्रभाव यदि कोई है तो सारवान है परन्तु व्यापक नहीं है। **{1 M}**

Answer 3:

(a) कम्पनी के पहले अंकेक्षण की नियुक्तिः कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 139(6) बताती है, कि कम्पनी के पहले लेखापरीक्षक या लेखापरीक्षकों की नियुक्ति कम्पनी के पंजीकरण की तिथि से 30 दिनों के भीतर निदेशक मण्डल द्वारा की जाएगी। **{1 M}**

वर्तमान मामले में PQR लिमिटेड के प्रबन्ध निर्देशक के द्वारा स्वंय ही प्रथम लेखा परीक्षक के रूप में श्री गणपति एक अभ्यासी चार्टर्ड एकाउटेंट की नियुक्ति कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 139(6) का उल्लंघन है, जो निर्देशक मण्डल को कम्पनी के पंजीकरण के 30 दिन के अंदर कम्पनी के प्रथम लेखा परीक्षक को नियुक्त करने के लिए अधिकृत करता है। **{1 M}**

उपर्युक्त का ध्यान रखते हुए PQR लि. के प्रबन्ध निर्देशक का कम्पनी के प्रथम लेखापरीक्षक के रूप में नियुक्त न करने की सलाह दी जाती है। **{1 M}**

Answer:

(b) सेम्पलिंग तकनीक को लागू करते हुए जोखिम कारकः एस.ए. 530 ''अंकेक्षण सेम्पलिंग के अनुसार सेम्पलिंग जोखिम वह जोखिम है, जिसका एक सेम्पल पर आधारित निष्कर्ष, निष्कर्ष से भिन्न हो सकता है यदि समस्त जनसंख्या उसी अंकेक्षण प्रक्रिया के तहत है। सेम्पलिंग जोखिम दो प्रकार के त्रुटिपूर्ण निष्कर्ष की तरफ ले जाता है– **{1 M}**

(i) नियंत्रण के परीक्षण के मामले में वास्तव में नियंत्रण ज्यादा प्रभावी है अथवा विवरण के परीक्षण के मामले में, सारवान मिथ्या विवरण विद्यमान नहीं है जबकि वास्तव में यह है। अंकेक्षक मुख्यतः त्रुटिपूर्वक निष्कर्ष के इस प्रकार से संबंधित है क्योंकि यह अंकेक्षण प्रभावदेयता को प्रभावित करता है तथा एक अनुपयुक्त अंकेक्षण राय की तरफ ले जाने की संभावना है। **{1 1/2 M}**

(ii) नियंत्रण के परीक्षण के मामले में, नियंत्रण वास्तव से कम प्रभावी है अथवा विवरण के परीक्षण के मामले में, सारवान मिथ्या विवरण विद्यमान है, जबकि यह है नहीं। इस प्रकार का त्रुटिपूर्वक निष्कर्ष अंकेखण कुशलता को प्रभावित करता है क्योंकि सामान्यतः यह स्थापित करने के लिए अतिरिक्त कार्य की तरफ ले जाता है कि आरंभिक निष्कर्ष गलत था। **{1 1/2 M}**

Answer:

(c) दान राशि की प्राप्ति (Receipt of Donations):

(i) आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली (Internal Control System): आन्तरिक, नियंत्रण प्रणाली की मौजूदगी विशेष रूप से दान राशि का अधिकृत रूप से संग्रह, रसीद पुस्तकों का कब्जा और धन की सुरक्षा के संबंध में उत्तरदायित्व के विभाजन के बारे में।

(ii) रसीद पुस्तिका का अधिकार (Custody of Receipt Books): रसीद पुस्तिका जारी करने की प्रणाली की मौजूदगी क्या प्रयुक्त न की गयी रसीद पुस्तिका वापस की जाती है और उनकी भौतिक जाँच की जाती है, रसीद पुस्तिकाओं की संख्या और उनकी क्रमांक संख्याओं की जाँच सहित।

(iii) चैकों की प्राप्ति (Receipt of Cheques): रसीद पुस्तिका के साथ कार्बन कॉपी दोहरी रसीद के लिये होनी चाहिये और इस पर किसी उत्तरदायी अधिकारी के हस्ताक्षर होने चाहिये। सभी विवरण जैसे चैक की तिथि, बैंक का नाम, तिथि, राशि, चैक की संख्या आदि स्पष्ट रूप से वर्णित की जानी चाहिये। **(Any 4 Points Each 1/2 Mark)**

(iv) बैंक समाधान (Bank Reconciliation): बैंक विवरण का समाधान सभी नकदी के जमा करने के संदर्भ में न केवल तिथि और राशि बल्कि रसीद पुस्तिका के संदर्भ में भी।

(v) नकद प्राप्तियां : अधिक व्यापक रूप से वशीकरण करने के लिए नकद दान का रजिस्टर। यदि पते उन दाताओं के लिए उपलब्ध है जिन्होंने नकद दिया था, तो इकाई को राशि, तिथि और रसीद संख्या का उल्लेख करते हुए धन्यवाद पत्र पोस्ट करके क्रॉस–चेक किया जा सकता है।

(vi) विदेशी योगदान, यदि कोई हो, लागू कानूनों और विनियमों के अनुपालन पर विशेष ध्यान देने के लिए।

विभिन्न NGO's को दान राशि भेजना (Remittance of Donations to Different NGO's)

(i) दान राशि भेजने का तरीका (Mode of Sending Remittance): सभी राशियॉ खाते में देय चेक के द्वारा भेजी जायें। मॉग पत्र के द्वारा भेजी गयी राशि की गहन जॉच की जानी आवश्यक है, प्राप्तकर्ताओं के संदर्भ में।

(ii) दान राशि प्राप्ति की पुष्टि (Confirming Receipt of Remittance): सभी भेजी गयी राशियों का समर्थन रसीद और प्राप्ति के साथ होना चाहिये।

(iii) पहचान Identity: दान राशि प्राप्त करने वाली संस्था असली है। पते, 80 G पंजीकरण संख्या आदि का सत्यापन करें।

(iv) प्रत्यक्ष पुष्टीकरण अवधि (Direct Confirmation Procedure): जिन संस्थाओं को दान राशि भेजी गई है, उनसे प्रत्यक्ष रूप से पुष्टीकरण करें।

(v) दान राशि का उपयोग (Donation Utilisation): दान राशि का उपयोग केवल समुद्री तूफान से पीड़ित लोगों के लिये किया गया है, किसी अन्य उद्देश्य के लिये नहीं।

(vi) NGOs' के चुनाव करने की विधि (System of NGOs' Selection): NGO's द्वारा जिनको दान राशि भेजी गयी है, इनके चुनाव की प्रणाली।

(Any 4 Points Each 1/2 Mark)

Answer:

(d) **प्रावधान तथा स्पष्टीकरण** : कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 140 की उपधारा (2) की गैर अनुपालना के लिए अंकेक्षक जुर्माना से सजा योग्य होगा जो 50,000 रू. से कम नहीं होगा अथवा अंकेक्षक का पारिश्रमिक जो भी कम है परन्तु उक्त अधिनियम की धारा 140(3) के अन्तर्गत 5,00,000 लाख रू. तक हो सकती है। **{2 M}**

निष्कर्ष : इसलिए, कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 140(3) के अन्तर्गत जुर्माना 30,000 रू. से कम नहीं होगा परन्तु 5,00,000 लाख रू. तक हो सकता है। **{1 M}**

Answer 4:

(a) **प्रमुख अंकेक्षण मामला का संप्रेषण का उद्देश्य**

SA 701, ''अंकेक्षक की रिपोर्ट में प्रमुख अंकेक्षण मामलों का संप्रेषण के अनुसार, प्रमुख अंकेक्षण मामला का संप्रेषण का उद्देश्य जिसे निष्पादित किया, के बारे में ज्यादा पारदर्शिता का प्रदान करने का अंकेक्षक का रिपोर्ट का संप्रेषण मूल्य को बढ़ाया है। प्रमुख अंकेक्षण मामला का संप्रेषण एच्छिक उपयोगकर्ता को उन मामला में समझने में उसकी सहायता करने के लिए अतिरिक्त सूचना को प्रदान करता है जो अंकेक्षक की पेशेवर निर्णयन में चालू अवधि का वित्तीय विवरण का अंकेक्षण में ज्यादा महत्व का है। प्रमुख अंकेक्षण मामला का संप्रेषण इकाई को समझने तथा अंकेक्षित वित्तीय विवरण में महत्वपूर्ण प्रबंधकीय निर्णय का क्षेत्र में एच्छिक उपयोगकर्ताओं की भी सहायता करता है। **{2 M}** **{1 M}**

Answer:

(b) आज की डिजिटल आयु में जब व्यापार को परिचालित करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली तथा नेटवर्क पर ज्यादा से ज्यादा विश्वास करते है, डाटा तथा सूचना की राशि जो इस प्रणाली में प्रचुर रूप से विद्यमान एक प्रसिद्ध व्यापारी ने हाल में कहा है, ''डेटा एक नया तेल है''। **{1 M}**

प्रक्रिया, उपकरण तथा तकनीक का समन्वय जिसे अर्थपूर्वक सूचना को प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रोनिक डाटा की विशाल राशि का लाभ उठाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, को डाटा विश्लेषण कहते हैं। जबकि यह सत्य है कि कम्पनी बढ़ी हुई लाभदायकता, बेहतर ग्राहक सेवा, प्रतिस्र्द्धी लाभ को प्राप्त करने, ज्यादा कुशल परिचालन इत्यादि के संदर्भ में डाटा विश्लेषण के उपयोग से काफी लाभ उठा सकती है, यहां तक अंकेक्षक अंकेक्षण प्रक्रिया में इसी प्रकार के उपकरण तथा तकनीक का उपयोग कर सकते हैं तथा अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। उपकरण तथा तकनीकी जिसे डाटा विश्लेषण का सिद्धात लागू करते हैं, को कम्प्यूटर सहायक अंकेक्षण तकनीक अथवा संक्षेप में CAAT है।

डाटा विश्लेषण का स्प्रेडशीट तथा विशेषज्ञ अंकेक्षण उपकरण जैसे IDEA तथा ACL को निम्न में निष्पादन के लिए उपयोग कर आई.टी. प्रणाली में रहने वाले डाटा तथा इलेक्ट्रोनिक रिकार्ड के परीक्षण में प्रयुक्त किया जा सकता है। **{1 M}**

- डाटा तथा जनसंख्या पूर्णता की जांच करना जिसे या तो नियंत्रण के परीक्षण में अथवा यथार्थवाही अंकेक्षण परीक्षण में प्रयुक्त किया जाता है
- अंकेक्षण सेम्पल का चयन – यादृच्छिक सेम्पलिंग, क्रमबद्ध सेम्पलिंग
- शेष की पुर्नगणना – सौदा डाटा से तलपट की पुनः संरचना
- गणितीय गणना का पुनः निष्पादन – ह्रास, बैंक ब्याज गणना
- जर्नल प्रविष्टी का विश्लेषण जैसा द्वारा आवश्यक है
- धोखाधड़ी अन्वेषण
- नियंत्रण कमियों के प्रभाव का आंकलन

{2 M}

Answer:

(c) अंकेक्षण प्रक्रिया के रूप में बाहरी पुष्टि : SA 505, ''बाहरी पुष्टि'' शेष की बाहरी पुष्टि का मानक को रखता है। बाहरी पुष्टि को बार–बार खाता शेष तथा उनके हिस्से के संबंध में प्रयुक्त किया जाता है परन्तु इन मदों तक सीमित होने की आवश्यकता नहीं है। उदाहरण के लिए अंकेक्षक समझौता अथवा सौदा की शर्तो की पुष्टि के लिए प्रार्थना कर सकता है जिनका एक इकाई का तृतीय पक्ष के साथ है। पुष्टि प्रार्थना यह पूछने के लिए डिजाइन यदि समझौते में कोई संशोधन हुआ है तथा यदि हों तो, उसका प्रासंगिक विवरण/आय क्षेत्र जहां पर बाहरी पुष्टि को प्रयुक्त किया जा सकता है, में सम्मिलित है : **{2 M}**

- बैंकर्स से बैंक शेष तथा अन्य सूचना
- खाता प्राप्य शेष
- तृतीय पक्ष द्वारा धारित इवेंटरीज
- तृतीय पक्ष द्वारा धारित सम्पत्ति स्वत्व प्रलेख
- क्रय किया निवेश परन्तु सुपुर्दगी नहीं ली
- लेखा देय शेष
- ऋणदाताओं से ऋण
- काफी समय से अदत अंश आवेदन धन।

(Any 4 Points Each 1/2 Mark)

Answer:

(d) **नकद की हेराफेरी** : नकद की हेराफेरी को निम्न तरीका में सामान्यतः पाया जाता है :

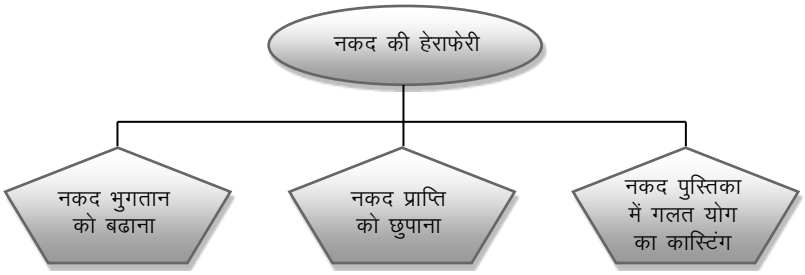

(a) **नकद भुगतान को बढ़ाने के द्वारा**

भुगतान का बढाने का उदाहरणः

(1) कृत्रिम वाउचर्स के विरूद्ध भुगतान करना

(2) वाउचर्स के विरूद्ध भुगतान करना, जिसकी राशि को बढाया गया

(3) मजदूरी तालिका के योग में कृत्रिम श्रमिकों के नाम शामिल करने या अन्य किसी रूप में बढाने के द्वारा हेराफेरी करना।

(4) लघु नकद व्यय का योग की कास्टिंग तथा विस्तृत कॉलम का योग का आधिक्य में समायोजन करने ताकि क्रॉस योग मेल को दिखाता है।

{Any 2 points 1/2 Mark Each}

(b) **नगद प्राप्ति को छुपाने के द्वारा**

रसीदें कैसे दबा दी जाती है इसकी कुछ तकनीक है:

(1) Teeming and Lading : एक ग्राहक से प्राप्त राशि जिसे गबन किया, तथा साथ में एक अन्य ग्राहक से प्राप्त धन की खोज को रोकने के लिए ग्राहक जिसने पहले भुगतान किया ग्राहक का खाते से क्रेडिट किया तथा उसके पश्चात् द्वितीय ग्राहक के खाता में क्रेडिट किया तथा इस प्रकार की प्रेक्टिस को जारी किया ताकि कोई भी खाता समय की अवधि के लिए भुगतान के लिए अदत है, जो प्रबन्धन या तो उसे खाता का विवरण को भेजता है अथवा उसे संप्रेषण किया।

(2) गैर प्राधिकृत अथवा कृत्रिम छूट, भत्ता, कटौती इत्यादि का ग्राहक का खाता में समायोजन करना तथा उसके द्वारा भुगतान राशि का गबन।

(3) इसके शेष के सम्बन्ध में ऋण का अपलेखन जिसके विरूद्ध नकद को पहले से प्राप्त किया परन्तु गबन किया गया।

(4) नकद बिक्री का पूर्ण रूप से लेखांकन नहीं करना।

(5) विविध प्राप्ति के लिए लेखांकन नहीं उदाहरणतः स्क्रेप की बिक्री, कर्मचारियों को आबंटित आवास इत्यादि

(6) सम्पूर्ण रूप में सम्पत्ति का अपलेखन, उसे बाद में बेचना तथा राशि का गबन।

{Any 2 points 1/2 Mark Each}

(c) **नकद पुस्तिका में गलत योग की कॉस्टिंग** **{1 M}**

Answer 5:

(a) भारत में बैंकिंग उद्योग का कार्य भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा नियंत्रित किया जाता है, हमारे देश के केन्द्रीय बैंक के रूप में कार्य करता है। आरबीआई भारतीय वित्तीय प्रणाली (जिसमें बैंकों और गैर–बैंकिंग वित्तीय संस्थान शामिल है) के घटकों के विकास और पर्यवेक्षण के लिए जिम्मेदार है, साथ ही केन्द्र सरकार के साथ संयोजन के रूप में, मौद्रिक और क्रेडिट नीतियों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए। **{2 M}**

आरबीआई के महत्वपूर्ण कार्यो मुद्रा जारी करना है : मुद्रा मुद्दे का विनियमन : केन्द्रीय और राज्य सरकारों के लिए बैंकर के रूप में कार्य करना : और टर्म–ऋण देने वाले संस्थानों सहित वाणिज्यिक और अन्य प्रकार के बैंको के लिए बैंकर के रूप में कार्य करना इसके अलावा, आरबीआई को वाणिज्यिक और अन्य बैंकों की गतिविधियों को विनियमित करने की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। कोई बैंक आरबीआई से लाइसेंस प्राप्त किए बिना बैंकिंग के कारोबार की शुरू नहीं कर सकता है या नई शाखाऐं नहीं खोल सकता है। आरबीआई के पास किसी भी बैंक का निरीक्षण करने की भी शक्ति है। **{2 M}**

Answer:

(b) **महत्वपूर्ण मामला तथा संबधित महत्वपूर्ण पेशेवर निर्णयन का प्रपत्रीकरण**

एक मामले की महत्वता का परखने में तथ्य तथा परिस्थिति की वस्तु परक विश्लेषण की आवश्यकता है।

महत्वपूर्ण मामलों के उदाहरण में सम्मिलित है:

- मामला जो महत्वपूर्ण जोखिम को जन्म देते है।
- अंकेक्षण प्रक्रिया का परिणाम संकेत देता है। (a) कि वित्तीय विवरण को सारवान रूप मे मिथ्या वर्णित किया जा सकता है, अथवा (b) सारवान मिथ्या विवरण की जोखिम की अंकेक्षक की पहले की समीक्षा को पुर्नरक्षित करने की आवश्यकता है तथा इन जोखिम का अंकेक्षक का प्रत्युत्तर
- परिस्थिति जो अंकेक्षक को आवश्यक अंकेक्षण प्रक्रिया को लागू करने में पर्याप्त कठिनाई देते है।
- निष्कर्ष जो अंकेक्षण राय की संशोधन परिणाम हो सकता है अथवा अंकेक्षक की रिपोर्ट में मामला पैराग्राफ का जोर सम्मिलित हो सकता है।

{2 M}

महत्वपूर्ण मामलों की अंकेक्षण प्रपत्रीकरणके स्वरूप, विषय वस्तु तथा हद के निर्धारण में एक महत्वपूर्ण फेक्टर कार्य के निष्पादन तथा परिणाम के आंकलन में प्रयुक्त पेशेवर निर्णयन की हद है।

पेशेवर निर्णयन जहां पर महत्वपूर्ण है, का प्रपत्रीकरण अंकेक्षक के निष्कर्षा का निर्णयन की गुणवत्ता को सुदृढ़ करता है। इस प्रकार मामलों के लिए उत्तरदायी व्यक्ति का विशेष हित का है जिसमें बाद का अंकेक्षण को चलाना जब लगातार महत्व की मामलों की समीक्षा की जाती है। (उदाहरण के लिए, लेंखाकन अनुमान की पूववर्ती समीक्षा को निष्पादित किया जाता है)

परिस्थिति के कुछ उदाहण जिसमें पेशवर निर्णयन का उपयोग से संबंधित अंकेक्षण प्रपत्रीकरण को तैयार करना उपयुक्त है जहां पर मामला तथा निर्णयन महत्वपूर्ण है:

- अंकेक्षक का निष्कर्ष के लिए युक्ति जब तक आवश्यकता प्रदान करता है कि अंकेक्षक कुछ सूचना अथवा फैक्टर 'विचार करेगा' तथा वह विचार विशेष लिप्तता के संदर्भ में महत्वपूर्ण है। **{2 M}**
- विषयपरक निर्णयन का क्षेत्र की उचितता पर अंकेक्षक का निष्कर्ष का आधार (उदाहरण के लिए, महत्वपूर्ण लेखांकन अनुमान की उचितता)
- एक प्रपत्र की प्रमाणिकता के बारे में अंकेक्षक का निष्कर्ष जब अंकेक्षण के दौरान पहचान स्थिति के प्रत्युत्तर में इस प्रकार का अन्वेषण (जैसा एक विशेषज्ञ का उपयुक्त उपयोग अथवा पुष्टि प्रंक्रिया जो अंकेक्षक को विश्वास दिलाता है कि प्रपत्र प्रमाणिक नही हैं)

Answer:

(c) (i) **किराया व्यय–** किराया समझौते के साथ माह अनुसार अनुसूची को प्राप्त करना। सत्यापन करें यदि व्यय को सभी 12 माह के लिए रिकार्ड किया तथा क्या किराया। राशि अर्न्तनिहित समझौते के अनुसार है। विशिष्ट विचार को समझौते में उतार चढ़ाव वाक्य पर देनी चाहिए ताकि सत्यापन किया जा सके। यदि किराया अंकेक्षण के अन्तर्गत अवधि के दौरान समायोजित किया साथ में सत्यापन करे यदि समझौता इकाई के नाम में है तथा क्या व्यय इकाई का व्यापार परिचालन को चलाने के लिए प्रयुक्त परिसर से संबंधित है। **{1½ M}**

(ii) **ऊर्जा तथा ईधन व्यय–** विद्युत बिल के साथ माह अनुसार व्यय अनुसूची का सत्यापन करे यदि व्यय को 12 माह के लिए रिकार्ड किया। साथ ही, उपभोग की गयी विद्युत का माह बार सारांश का संकलन करें तथा मासिक आधार पर सृजित बिल की गणितीय शुद्धता की जांच करें। उपभोग की गयी यूनिटो के संबंध में, उत्पादित निर्मित वस्तुओं की इकाइयों का उपभोग की गयी मासिक विद्युत यूनिटस के साथ लिक करे तथा मासिक प्रवृति में अतर के लिये कार्यो का अन्वेषण करें। **{1½ M}**

Answer:

(d) अंकेक्षण तथा कानून के मध्य संबंध काफी नजदीकी हैं। अंकेक्षण में क्या अथवा इन सौदों को सही ढंग से प्रविष्ट किया है, के मत से विभिन्न सौदो का परीक्षण लिप्त है यह आवश्यक करता है कि अंकेक्षक की **{1 M}**

इकाई को प्रभावित करने वाला व्यापार कानून का अच्छा ज्ञान है। यह संविदा का कानून, पराक्रमय प्रलेख इत्यादि के साथ परिचित होना चाहिए। कराधान कानून का ज्ञान भी आवश्यक है क्योंकि इकाई को विभिन्न **{1 M}**

कर कानून के द्वारा प्रभावित विभिन्न प्रावधानों को ध्यान में रखकर अपने वित्तीय विवरण को तैयार करना होता है। विभिन्न सौदों विशेष रूप से लेखांकन पक्ष का प्रभाव का विश्लेषण में एक अंकेक्षक का प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष कर कानून के बारे में अच्छा ज्ञान होना चाहिए। **{1 M}**

Answer 6:

(a) एक अन्य अंकेक्षक के कार्य का उपयोग करना : जब शाखा के खाते का अंकेक्षण कम्पनी के अंकेक्षक के अतिरिक्त व्यक्ति द्वारा किया जाता है, इस प्रकार के अंकेक्षक की तथा शाखा का खातों का अंकेक्षण के संबंध में कम्पनी के अंकेक्षक तथा कम्पनी के अंकेक्षण की भूमिका की स्पष्ट समझ होने की आवश्यकता है, साथ में एक प्रभावी अंकेक्षण के लिए दो अंकेक्षकों के मध्य सही समझ होने की काफी आवश्यकता है। इस आवश्यकता की मान्यता में, ICAI की परिषद ने इन मुद्दों को SA 600, ''एक अन्य अंकेक्षक का कार्य का उपयोग में डील किया है।'' यह स्पष्ट करता है कि कुछ स्थिति में, इकाई को संचालित करने वाला विधान प्रमुख अंकेक्षक को घटक का दौरा करने तथा उक्त घटक की लेखा पुस्तकों तथा अन्य रिकार्ड का परीक्षण करने का अधिकार देता है यदि वह ऐसा करना आवश्यक समझता है। जहां पर घटक के लिए एक अन्य अंकेक्षक को नियुक्त किया है, प्रमुख अंकेक्षक सामान्यतः इस प्रकार के अंकेक्षक का कार्य पर विश्वास करने का हकदार है जब तक कि कुछ विशेष परिस्थिति है जो उसे उस घटक की लेखा पुस्तक तथा अन्य **{2 M}**

रिकार्ड का परीक्षण करने तथा / अथवा घटक का दौरा करना आवश्यक ना कर दें। आगे यह कहता है कि यह अंकेक्षक को पर्याप्त उपयुक्त अंकेक्षण साक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रक्रिया को निष्पादित करना चाहिए कि प्रमुख अंकेक्षक का उद्देश्य के अन्य अंकेक्षक का कार्य पर्याप्त है। जहां पर एक अन्य अंकेक्षक का कार्य का उपयोग करते हुए प्रमुख अंकेक्षक को साधारणतः निम्न प्रक्रिया को निष्पादित करना चाहिएः

(i) अन्य अंकेक्षक को उपयोग की सलाह देना जिस अन्य अंकेक्षक को कार्य में लिया जायेगा तथा अंकेक्षण की योजना चरण में उनके प्रयास का सामंजस्य के लिए पर्याप्त प्रबन्ध करना। प्रमुख अंकेक्षक मामलों जैसे क्षेत्र जिसमें विशेष विचार की आवश्यकता है, अर्न्तघटक सौदो की पहचान के लिए प्रक्रिया जिसमें प्रकटीकरण की आवश्यकता हो सकती है तथा अंकेक्षण की पूर्णता के लिए समय सारणी का अन्य अंकेक्षक को नियुक्त करेगा, तथा **{1 M}**

(ii) अन्य अंकेक्षक को महत्वपूर्ण लेखांकन, अंकेक्षण तथा रिपोर्टिग आवश्यकता के बारे में सलाह देगा तथा उनके साथ अनुपालना के बारे में प्रतिवेदन को प्राप्त करेगा।

प्रमुख अंकेक्षक अन्य अंकेक्षक के साथ लागू अंकेक्षण प्रक्रिया का चर्चा करेगा अथवा अन्य अंकेक्षक की प्रक्रिया तथा खोज की लिखित सारांश की समीक्षा करेगा जो पूर्ण प्रश्नावली अथवा जांच सूची का स्वरूप में हो सकता है। प्रमुख अंकेक्षक अन्य अंकेक्षक के पास दौरा करने का विचार कर सकता है। प्रक्रिया की प्रकृत्ति, समय तथा हद लिप्पता की प्रकृति तथा अन्य अंकेक्षक की पेशेवर सक्षमता का प्रमुख अंकेक्षक का ज्ञान पर निर्भर होगी। इस ज्ञान को अन्य अंकेक्षक का गत अंकेक्षण कार्य की समीक्षा से बढ़ाया जा सकता है। **{1 M}**

Answer:

(b) ऋण के अतिरिक्त दायित्व (ऊपर चर्चा की है) में व्यापार प्राप्य तथा अन्य चालू दायित्व, आस्थगित भुगतान क्रेडिट तथा प्रावधान सम्मिलित है। दायित्वों का सत्यापन भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि सम्पत्ति का, यह विचार करते हुए यदि दायित्व छूट गया (अथवा कम वर्णित है) अथवा अति वर्णित है चिट्ठा इकाई के कार्यकलाप का सत्य तथा उचित मद नहीं दिखायेगा। **{2 M}**

आगे, एक दायित्व चालू के रूप में वर्गीकृत है यदि यह निम्न मानदंड को संतुष्ट करती हैः

- इसकी इकाई की सामान्य परिचालन चक्र में निपटारा होने की अपेक्षा है।
- इसे मुख्यतः व्यापारिक होने के उद्देश्य से रखा है।
- यह प्रतिवेदन अवधि के प्श्चात् बारह माह के अंदर निपटारा के लिए देय है।
- इकाई का प्रतिवेदन अवधि के प्श्चात् कम से कम बारह माह के लिए दायित्व का आस्थगन का बिना शर्त का अधिकार नहीं है। दायित्व की शर्त जो प्रतिपक्ष का विकल्प पर समता प्रलेख के निर्गम के द्वारा इसका निपटारा में परिणामतः होती है, इसके वर्गीकरण को प्रभावित नहीं करती। **{1 M}**

Answer :

(c) **संचय** लाभ से विनियोजित राशि है जो चिट्ठा को विद्यमान के रूप में जानी सम्पति का मूल्य में कमी अथवा किसी दायित्व, आकस्मिकता तथा प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए एच्छिक नहीं है।

इसके उलट, प्रावधान निम्न के प्रदान करने के लिए राजस्व के विरूद्ध वसूल राशि हैः

(i) नवीनीकरण अथवा सम्पति का मूल्य में कमी; अथवा

(ii) एक ज्ञात दायित्व, जिसकी राशि का केवल अनुमान लगायेगे तथा शुद्धता के साथ निर्धारित नही किया जा सकता है; अथवा **{1 M}**

(iii) एक दावा जो विवादित है।

सम्पति के मूल्य में कमी को पूरा करने के लिए लाभ से अंतरित अथवा अंशदान राशि इस तथ्य के कारण प्राकृतिक आपदा के पणिामस्वरूप मे रूप में गुम हो गयी अथवा नष्ट हो गयी अथवा ऋण जिसकी वसूली नहीं की गयी, को साबित किया प्रावधान के रूप में भी वर्णित किया। प्रावधान को सामान्यतः लाभ की राशि पर पहुंचने के पूर्व लाभ तथा हानि का विवरण मे वसूल किया।

दों के मध्य अंतर है कि प्रावधान विशिष्ट/पहचान दायित्व अथवा सम्पति का वसूलीयोग्य मूल्य में कमी को पूरा करने के लिए रखी गयी राशि है। इसे इस तथ्य पर विचार किये बिना क्या कम्पनी ने लाभ की अर्जित किया अथवा नहीं।
दूसरी तरफ संचय एक अवधि से एक आय के लिए कम्पनी का लाभांश का बराबर करने के लिए धारित लाभ अथवा कम्पनी का विस्तार का वित्त के लिए अथवा वित्तीय रूप से सामान्यतः कम्पनी का सुदृढ़ करने के लिए विनियोजित राशि का प्रतिनिधित्व करता है।
यदि हम किसी कम्पनी के चिट्ठे का परीक्षण करने से बाहन कुल दायित्व से घटाया जाता है, दो अंक के मध्य अंतर उस तिथि को सम्पति का पुस्तक मूल्य पर आधारित कम्पनी की शुद्ध मूल्य का प्रतिनिधित्व करेगा। उसमें अंशधारकों के द्वारा अशदान पुंजी तथा साथ में लाभ तथा हानि का विवरण अथवा संचय के क्रेडिट में धारित कुल गैर वितरित लाभ सम्मिलित होगा। संचय को फिर से राजस्व अथवा पूजी संचय में विभक्त किया जायेगा। **{1 M}**
राजस्व संचय लाभ का प्रतिनिधित्व करता है जो किसी एक अथवा अधिक उद्देश्य अथवा समय के लिए धारित अंशधारको का वितरण के लिए उपनब्ध है।
उदाहरण मंदी वर्षो में विभाज्य लाभ का अनुपूरक करना, व्यापार के विस्तार के लिए वित पोषण, व्यापार की कार्य पूंजी को बढ़ाना अथवा सामान्यतः कम्पनी की वित्तीय स्थिति को सामान्यतः सुदृढ़ करने के लिए।

पूंजी संचय दूसरी तरफ एक संचय का प्रतिनिधत्व करता है जिसमें लाभ तथा हानि के विवरण के जरिये वितरण लिए मुक्त के रूप में कोई राशिा सम्मिलित नहीं है।
उदाहरण– अंश प्रीमियम, पूंजी विमोचन संचय
यह भी नोट किया जा सकता है कि यदि एक कम्पनी सम्पति प्रति स्थानापन्न संचय मे क्रेडिट करने के लिए राजस्व लाभ को विमोचित किया जाता है जिसे पूंजी उद्देश्य के लिए पूंजी सचय की प्रवृति में भी ऐसे संचय के लिये प्रयुक्त किया है। **{1 M}**
सामान्यतः पूंजी संचय को बोनस अंशों को जारी करने के लिए अथवा कृत्रिम सम्पति का अपलेखन करने अथवा हानि (अनुच्छेद में प्रावधान के तहत यदि इसे वसूल किया) परन्तु अंश प्रीमियम अथवा पूंजी विमोचन संचय खाता की राशि को केवल कम्पनी अधिनियम 2013 की क्रमशः धारा 52 तथा 55 में निर्दिष्ट उद्देश्य के लिए किया जाता है।

Answer:

(d) **अंकेक्षण साक्ष्य की पर्याप्तताः** पर्याप्तता अंकेक्षण साक्ष्य की मात्रा का माप है। आवश्यक अंकेक्षण की मात्रा अंकेक्षक की मिथ्या विवरण का जोखिम (जितना अधिक समीक्षा जोखिम उतना अधिक अंकेक्षण साक्ष्य की आवश्यकता होगी तथा साथ में इस प्रकार के अंकेक्षण साक्ष्य की गुणवत्ता) द्वारा प्रभावित होती है। ज्यादा अंकेक्षण साक्ष्य को प्राप्त करना इसकी खराब गुणत्ता की क्षतिपूर्ति नही करता। पर्याप्तता के बारे में अंकेक्षक का निर्णय निम्न तत्वों द्वारा प्रभावित हो सकता हैः **{2 M}**

(i) सारवानता
(ii) सारवान मिथ्या विवरण की जोखिम
(iii) जनसांख्यिकी का आकार तथा विशेषता

(i) सारवानता को वित्तीय विवरण का उपयोगकर्ता को प्रस्तुति तथा प्रकटीकरण तथा सौदा, खाता शेष की श्रेणीी का महत्व को परिभाषित किया जा सकता है। कम साक्ष्य की आवश्यकता होगी जहां पर अमिकथन वित्तीय विवरण का उपयोगकर्ता के लिए कम सारवान है। परन्तु दूसरी तरफ यदि अभिकथन वित्तीय विवरण का उपयोगकर्ता से ज्यादा सारवान हैं, ज्यादा साक्ष्य की आवश्यकता होगी।
(ii) **सारवान मिथ्या विवरण को जोखिम के रूप में** परिभाषित किया जा सकता है कि वित्तीय विवरण अंकेक्षण से पहले सारवान रूप में मिथ्या वर्णित है। यह अभिकथन स्तर पर वर्णित दो घटक से मिलकर बना है (a) अर्न्तनिहित जोखिम–मिथ्या विवरण की एक अभिकथन की संवेदनशलीता जो किसी संबंधित नियंत्रण की प्रतिफल से पूर्व सारवान होगा (b) नियंत्रण जोखिम–जोखिम एक **{2 M}**

मिथ्या विवरण है जो एक अभिकथन पर उत्पन्न हो सकता है जो सारवान हो सकता है, को इकाई की आंतरिक नियंत्रण द्वारा समयबद्ध आधार पर रोका अथवा खोजा अथवा सही नही किया जायेगा। अभिकथन के मामले में कम साक्ष्य की आवश्यकता होगी जिसका सारवान मिथ्या विवरण का न्यून जोखिम है। परन्तु दूसरी तरफ यदि अभिकथन का सारवान मिथ्या विवरण का उच्च जोखिम है, ज्यादा साक्ष्य की आवश्यकता होगी।

(iii) **जनसाख्यिकी का आकार** जनसाख्यिकी में सम्मिलित मदों की संख्यो को संदर्मित करता है। छोटी, ज्यादा संजातीय जनसांख्यिकी के मामले में कम साक्ष्य की आवश्यकता है परन्तु दूसरी तरफ बड़ी ज्यादा विजातीय जनसांख्यिकी के मामले में ज्यादा साक्ष्य की आवश्यकता होगी।

—**—